द्वितीय अपील न.   / 2017
प्रस्तुती ता. 21 दिसम्बर 2017

श्रीमान माननीय राजस्व मण्डल महोदय, के न्यायालय के समक्ष, इन्दौर

PBR/अपील/इंदौर/भू.रा/2018/0215

व्यवस्थापक, श्री व्यंकटेश मंदिर ट्रस्ट कमेटी,
35, छत्रीपुरा, स्ट्रीट न. 1, इन्दौर

अपीलांट

विरूध्द

मध्यप्रदेश शासन द्वारा
नजूल अधिकारी,
इन्दौर

रेस्पांडेंट

श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा अपील प्रकरण न. 163 / 11–12 को दि. 22 / 10 / 2013 को अदम पैरवी में निरस्त करने के आदेश को अपास्त कर अपील प्रकरण को पुनःस्थापित करने के लिए प्रस्तुत विविध मामला नम्बर 21 / 2013–14 में दि. 21 / 1 / 2014 को पारित आदेश के विरूध्द द्वितिय अपील धारा 44 उपधारा 2 खण्ड 3 म.प्र. भू राजस्व संहिता के तहत

महोदय,

अपीलांट की और से सादर निवेदन हैं कि :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

अपीलांट को मध्यप्रदेश शासन के भू–परिमाप एवं बन्दोबस्त विभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश अनुसार दिनांक 7 / 11 / 1977 से कस्बा इन्दौर की सर्वे क. 912 / 2 में 13200 वर्गफूट की नजूल भूमि पट्टे पर प्रदान की हुई हैं,

जिसके बाबद रेस्पांडेंट ने धारा 182 के तहत श्रीमान कलेक्टर महोदय, इन्दौर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि अपीलांट द्वारा प्राप्त 13200 वर्गफुट की भूमि में से 550 वर्गफुट की भूमि पर व्यवसायिक निर्माण कर लिया हैं,

जिसके आधार पर प्रकरण न. 3 / अ–39 / 2010–11 पंजीबध्द कर संचालित किया जाकर उसमें श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय, इन्दौर द्वारा दि. 17 जनवरी 2011 को कुल लीज की भूमि में से 550 वर्गफुट की भूमि की लीज निरस्त कर उसे शासन में वेष्ठित किये जाने के आदेश पारित किये गये जिससे असंतुष्ट होकर श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, के समक्ष अपील प्रकरण न. 163 / 11–12 प्रस्तुत किया था जो अपीलांट के वकील साहब की त्रुटिवश दि. 22 / 10

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/अपील/भू.रा./2018/0215

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24--1–2018	अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 व ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 21–1–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन पत्र अवधि बाह्य प्रस्तुत किये जाने के आधार पर निरस्त किया गया है, जो कि विधिसंगत नहीं है, क्योंकि प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर, गुण–दोष पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है । अपर आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायहित में प्रकरण पुर्नस्थापित कर, प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर करें । अध्यक्ष	